संख्याः /XXVIII(1)/2018-01(बजट)/2018

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 18 अप्रैल, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में राजस्व पक्ष (मेडिकल कॉलेजो, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय एवं चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–519/3(150)XXVII (1)/2018 दिनांक 02.04.2018 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित बजट में से समस्त संलग्न के कॉलम–घ में अंकित आवंटित **धनराशि ₹ 2,43,88,12,000.00 (₹ दो अरब तैंतालीस करोड़ अठठासी लाख बारह हजार मात्र)** व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. वचनबद्ध मदों की धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकतानुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

ii. अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

iii. अधिष्ठान सम्बन्धी जिन मदों में विशेषकर अवचनबद्ध मदों में विगत वर्ष के सापेक्ष किसी मुद्रण त्रुटि अथवा अन्य कारण से बजट प्राविधान में अप्रत्याशित एवं/अथवा अत्याधिक वृद्धि (औसत 25 प्रतिशत से अधिक) हुई हो उन प्रकरणों में व्यय शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जाय।

iv. मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' तथा मानक मद 42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को निर्वतन पर इस प्रतिबन्ध के साथ रखी जा रही है कि प्रथम किश्त के रूप में प्रस्ताव प्राप्त होने पर धनराशि का व्यय शासन की अनुमति से किया जायेगा। प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

v. मानक मद 26–मशीनें ओर सज्जा/उपकरण संयत्र तथा 39–औषधि एंव सम्पूर्ति के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को निर्वतन पर इस प्रतिबन्ध के साथ रखा जा रहा है कि उक्त मदों में व्यय करने से पूर्व

सम्पूर्ण कार्ययोजना शासन के अनुमोदन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। कार्ययोजना के अनुमोदनोंपरान्त ही उक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

vi. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

vii. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय। निर्माण कार्यो पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय और न ही अनुमोदित आगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाय।

viii. वाहन क्रय हेतु कोई व्यय करने से पूर्व राज्य सरकार की नई वाहन नीति के अन्तर्गत ही सुविचारित निर्णय लिया जाय एवं नये वाहन क्रय करने से पूर्व प्रत्येक प्रकरण पर वित्त विभाग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

ix. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017, के प्राविधानों एवं आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं। निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि उक्त शासनादेश के निर्देशों के अनुसार ही व्यय की जायेगी।

3– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के क्रम में सॉफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन सम्बन्धी आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उक्तवत

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

<u>सं0– 421 /XXVIII(1)/2018-01(बजट)/2018 तद्दिनांक।</u>
<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, हेमवती नन्दन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर।
7. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।
8. वित्त नियंत्रक, राजकीय दून मेडिकल कालेज देहरादून।
9. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

D:\AK\Draft\Misllaneous.doc 3.doc